न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस्तगासा गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :– 45/2016

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना मॉगरोल जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारां

(सायल)

बनाम

श्री विजेन्द्र सुमन पुत्र पप्पूलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री सत्येन्द्र जामोदिया अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 13.3.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल श्री विजेन्द्र सुमन पुत्र पप्पूलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारां द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महो. बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना मांगरोल क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, इसके विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल मे कुल 2 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत हुये दर्ज है। उक्त दोनों प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। उक्त गैरसायल के विरूद्ध थाने में 41/110 सी.आ.पी.सी. के तहत इंसदादी कार्यवाही भी की जा चुकी है। इसका आम जनता मे भय एवं आतंक व्याप्त है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने मे कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधिया निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित मे हितकर प्रतीत नही है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल के विरूद्व दर्ज आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	प्रकरण संख्या	जुर्म धारा	नतीजा	निर्णय न्यायालय
1.	02/15	13 आरपीजीओ	03/13.01.15	सजा/18.03.15
2.	83/16	13 आरपीजीओ	69/22.04.16	सजा/30.05.16

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता पर भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को उपरोक्त 2 प्रकरणो के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य मे मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत इस्तगासा दिनांक 27.12.2016 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की तलबी की गई। गैरसायल द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। गैरसायल द्वारा जवाब प्रस्तुत कर, प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार का मुख्य कथन है कि चूंकि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ मे कुल 2 प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी. जी.ओ. तहत दर्ज हुये है। उक्त दोनो प्रकरणो में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। इस सजायाबी आपराधिक रिकार्ड के आधार पर यह गुण्डा की परिभाषा मे आता है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है।

इसके विपरीत गैरसायल के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को दौहराते हुये कहा गया कि गैरसायल वार्ड नं0 03 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारॉ का रहने वाला है। गैरसायल के विरूद्ध केवल 02 ही प्रकरण मुकदमा नं0 2/15 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ., मुकदमा नं0 83/16 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. पुलिस थाना मांगरोल में दर्ज किये गये, जो प्रकरण गैरसायल के विरूद्ध शक के आधार पर दर्ज करवाये गये थे। उनसे गैरसायल का कोई लेना देना नही है। उक्त धारा गुण्डा एक्ट के परिधि में नही आती है तथा दोनों प्रकरणों का निस्तारण भी न्यायालय श्रीमान द्वारा किया जा चुका है। जिसकी निर्णय नकल भी गैरसायल द्वारा पुलिस थाना मांगरोल में प्रस्तुत कर दी थी। उक्त प्रकरण 6 माह से ज्यादा समय के अन्तराल में पुलिस द्वारा गैरसायल को नाजायज परेशान करने के उद्देश्य से दर्ज किये गये थे जिनका गैरसायल का मात्र कोई संबंध नही था। इसलिये गैरसायल के विरूद्ध जेरकार कार्यवाही को निरस्त किया जाना विवि संगत एवं न्यायहित में होगा। क्योकि उक्त प्रकरणों के बाद आज तक कोई प्रकरण किसी भी थाने व अदालत में दर्ज नही हुआ है ओर न ही लंबित है। अतः गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त की जावे।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल अभिभाषक की बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल के विरूद्ध 02 प्रकरण मुकदमा नं0 2/15 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ., मुकदमा नं0 83/16 अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना मांगरोल में दर्ज किये गये है। उक्त दोनो प्रकरणों के अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय द्वारा गैरसायल को दोष सिद्व ठहराया जाकर, सजायाब किया चुका है। गैरसायल द्वारा उक्त समस्त प्रकरणो मे जुर्म स्वीकार किये गये है तथा माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजायाब कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल श्री विजेन्द्र सुमन पुत्र पप्पूलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) (5) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल को अन्तर्गत धारा 13 आरपीजीओ के 2 प्रकरणों मे दोषी ठहराया हुआ है।

अतः गैरसायल श्री विजेन्द्र सुमन पुत्र पप्पूलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा धारा 3 (3) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मॉगरोल से 7 दिन के लिए निष्कासित का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल श्री विजेन्द्र सुमन पुत्र पप्पूलाल जाति माली उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड नं0 3 मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारॉ राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना मॉगरोल से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को देगा। इस अवधि मे अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि मे पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी मे भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/– रूपये का स्वंय मुचलका इस अवधि मे नेचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 25.3.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना मांगरोल जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना क्षेत्र मांगरोल से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना सीसवाली जिला बारॉ के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 13.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ